

**झारखण्ड सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग।**

**अधिसूचना**

राँची दिनांक-14/10/2024

1. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3858/ श्री शक्ति कुंज (गृह जिला- पलामू), अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3859/ श्री प्रधान हाँसदाक (गृह जिला- दुमका), अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, पश्चिमी सिंहभूम को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रायडीह, गुमला के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3860/ सुश्री निशात अंजुम (गृह जिला- हजारीबाग), अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3861/ सुश्री निशा कुमारी (गृह जिला- पुरुलिया, प0 बंगाल), अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गाण्डेय, गिरिडीह को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
5. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3862/ श्रीमती कनक (गृह जिला- जहानाबाद, बिहार), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
6. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3863/ श्रीमती रेणू कुमारी (गृह जिला- रामगढ़), अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया, गिरिडीह को अगले आदेश तक व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
7. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3864/ श्री ललित नारायण तिवारी (गृह जिला- रामगढ़), सेवा प्राप्त को अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सरिया, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
8. 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3865/ श्री पार्थ नन्दन (गृह जिला- साहेबगंज), व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, राँची को मुख्यालय (ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड) में योगदान देने हेतु निदेश दिया जाता है।

*(Handwritten Signature)*  
14/10/24

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्थायी आदेश सं०-2936, दिनांक-07.04.2016 के आलोक में झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वैसे प्रखण्ड जहाँ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, वहाँ अधिसूचित/कार्यरत अंचल अधिकारी को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की शक्ति नियमित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पदस्थापन तक प्रदत्त की जाती है। जिन प्रखण्डों में अंचल अधिकारी के पद रिक्त है, उनमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा अंचल अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

3. उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों का अनुपालन अविलंब सुनिश्चित किया जाय। सभी संबंधित उपायुक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी को नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब विरमित कर देंगे एवं नव पदस्थापित पदाधिकारी का प्रभार आदान-प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगे। नव पदस्थापित पदाधिकारी प्रभार प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. इस अधिसूचना के क्रम में प्रभार रहित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, राँची में योगदान करेंगे।

5. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
(अजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक- 04-स्था०-01 / 2023 / -ग्रा०वि०वि०-3866 / राँची, दिनांक-14 / 10 / 2024

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04-स्था०-01 / 2023 / -ग्रा०वि०वि०-3866 / राँची, दिनांक-14 / 10 / 2024

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 04-स्था०-01 / 2023 / -ग्रा०वि०वि०-3866 / राँची, दिनांक-14 / 10 / 2024

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड)/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची/संबंधित उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक- 04-स्था0-01/2023/-ग्रा0वि0वि0-3866/राँची, दिनांक-14/10/2024

प्रतिलिपि:- मनरेगा आयुक्त/सभी विभागीय संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।